



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252745  
CG-DL-E-08032024-252745

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1072]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1072]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2024

सं. 68 / 2023

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022, की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के तहत कच्चे पेट कोक और कैल्सिंड पेट कोक के लिए आयात नीतिगत भारत में संशोधन।

का.आ. 1129(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के तहत निम्नलिखित संशोधनों को निम्नानुसार अधिसूचित करती है।

- आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 की आयात नीतिगत शर्त संख्या 06 (ख) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

शर्त सं.	मौजूदा नीतिगत भारत	संशोधित नीतिगत भारत
06 (ख)	अल्युमिनियम उद्योग प्रति वर्ष 0.5 मीट्रिक टन से अधिक कैल्सिंड पेट कोक आयात नहीं कर सकता है और कैल्सिंड पेट कोक विनिर्माण इकाईयाँ प्रति वर्ष 1.4 मीट्रिक टन से अधिक कच्चे पेट कोक आयात नहीं कर सकता है।	<p>क्रमशः विनिर्माण कैल्सिंड पेट्रोलीयम कोक (सीपीसी) के लिए कच्चे पेट्रोलीयम कोक (आरपीसी) का 1.9 मिलियन मीट्रिक टन और अल्युमिनियम उद्योग के लिए 0.5 मिलियन मीट्रिक टन सीपीसी का कुल आयात, वर्ष 2024–25 के दौरान अनुमेय होगा और क्रमशः विनिर्माण सीपीसी के लिए 1.9 मिलियन मीट्रिक टन आरपीसी और अल्युमिनियम उद्योग के लिए 0.8 मिलियन मीट्रिक टन सीपीसी की अनुमति वर्ष 2025–26 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:—</p> <p>i. आरपीसी और सीपीसी के आयात को केवल फीडस्टॉक/कच्चे माल के रूप में अनुमति दी जाएगी और किसी भी परिस्थिति में ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा।</p> <p>ii. आरपीसी और सीपीसी कोड आयात को संबंधित विनियमों कानूनों के तहत अनुमति के अनुसार प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से अल्युमिनियम उद्योग के घरेलू आव"यकताओं को पूरा करने हेतु अनुमति दी जाएगी।</p> <p>iii. कैल्सिनर्स द्वारा आरपीसी का आयात वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर किया जाएगा और एसईजेड इकाई (इकाइयों) सहित अन्य किसी इकाई (इकाइयों) को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। कैल्सिनर्स द्वारा सीपीसी के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>iv. अल्युमिनियम उद्योग द्वारा सीपीसी का आयात वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर किया जाएगा। अल्युमिनियम उद्योग द्वारा ऐनोड के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>v. सीएक्यूएम आदेश की तिथि अर्थात् दिनांक 14.02.2024 पर आरपीसी/सीपीसी प्रसंस्करण क्षमता को किसी भी यथानुपात आवंटन हेतु दर्ज किया जाएगा।</p> <p>vi. एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग के आदेश संख्या एफ संख्या 160014/16/2021-एमईआरडी/पेट कोक-35 दिनांक 14.02.2024 में यथा उल्लिखित अन्य सभी शर्तों का अनुपालन भी किया जाना चाहिए।</p>

**अधिसूचना का प्रभाव:** अल्युमिनियम उद्योग हेतु सीपीसी विनिर्माण के लिए आरपीसी हेतु सीपीसी और सीपीसी की अनुमेय आयात मात्रा, वित्तीय वर्ष 2024–25 से आगे सीएक्यूएम को दिनांक 14.02.2024 को जारी आदेश द्वारा सिफारिशों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम-01/89/180/एम-23/पीसी-2(क)/ई-38642]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(Directorate General of Foreign Trade)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2024

**No. 68 /2023**

**Subject: Amendment in Import Policy condition for Raw Pet Coke and Calcined Pet Coke under Chapter 27 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS) 2022**

**S.O. 1129(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the following amendments under Chapter 27 of the ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy) as under:

1. The Import Policy Condition no.06 (b) of Chapter 27 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS) 2022 shall be amended as under:

<b>Condition no.</b>	<b>Existing Policy Condition</b>	<b>Revised Policy Condition</b>
06(b)	Aluminium industry can import Calcined Pet Coke not exceeding 0.5 MT per annum and Calcined Pet coke manufacturing units can import raw pet coke not exceeding 1.4 MTs per annum.	Total import of 1.9 Million MTs of Raw Petroleum Coke(RPC) for manufacturing Calcined Petroleum Coke(CPC) and 0.5 Million MTs of CPC for Aluminium Industry respectively shall be permissible during 2024-25, and 1.9 Million MTs of RPC for manufacturing CPC Manufacturing and 0.8 Million MTs of CPC for Aluminium Industry respectively shall be permissible from 2025-26 onwards, subject to the following conditions: i. Import of RPC & CPC shall be permitted only as a feedstock / raw material and under no circumstances shall be used as fuel. ii.Import of RPC and CPC shall be permitted to cater entirely to the domestic needs of aluminium industry, for the processes as permitted under the relevant regulations / statutes. iii. Import of RPC by Calciners shall be on Actual User basis and shall not be transferred to any other unit(s) including SEZ unit(s). Export of CPC by Calciners shall not be permitted. iv. Import of CPC by Aluminium Industry shall be on Actual User basis. Export of Anode by Aluminium Industry shall not be permitted. v. The RPC/CPC Processing capacity as on the date of the CAQM Order i.e. 14.02.2024 shall be taken on record for any pro-rata allocations. vi. All other conditions as mentioned in the Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas Order No-F. No. 160014/16/2021-MERD/PetCoke-35 dated 14.02.2024 should also be complied with.

**Effect of the notification:** The permissible Import Quantities of RPC for manufacturing of CPC and CPC for Aluminium Industry, from FY 2024-25 onwards has been revised in line with the recommendations of CAQM issued vide Order dated 14.02.2024.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[No. 01/89/180/22/AM-23/PC-2(A)/E-38642]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Dir. Gen. of Foreign Trade &  
Ex-officio Addl. Secy.